Selling price of Phosphoric Acid

1930. SHRI ASHOK NATH VERMA : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to refer to the reply to Unstarred Question 1141 given in the Rajya Sabha on the 18th May, 1990; and state the maximum selling price per ton for phosphoric acid fixed by Government for phosphatic fertilizer manufacturers, grade-wise ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI DEVI LAL) : The Government does not fix the selling prices of phosphoric acid supplied to fertilizer units.

The Minerals & Metals Trading Corporation of India Limited, which is the canalising agency, have fixed the price of Rs. 6,924/- MT for phosphoric acid (P205) for the fertilizer manufacturers for the quarter April-June, 1990.

Regularisation of casual workers in c.w.c.

1931. PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the management of certain Central Warehousing Corporation godowns are compelling casual workers of long standing to accept wages from Handling and Transport contractors to the detriment of the regularisation of their services; and

(b) if so, what steps would be taken to regularise their services ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI RAM PUJAN PATEL) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Funds from State Governments for converting railway lines into broad gauge

1932. SHRI PRAMOD MAHAJAN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government have taken a policy decision to ask State Governments to share half the amount of the total required for converting railway line into broad gauge in their respective States; and

(b) if so, what are the details and reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI AJAY SINGH) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Irregularities in distribution of import sugar by NCCF at Delhi

1933. SHRI MOHINDER SINGH LATHER : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) whether irregularities in the distribution of imported levy sugar were committed by NCCF officials in Delhi, if so, the details thereof; and

(b) what action was taken against the officials involved in these bunglings as per the Essential Commodities Act/Regulations pertaining to such controlled commodities which are heavily subsidised by Government and are meant for the benefit of the weaker sections of the society ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI RAM PUJAN PATEL) : (a) The NCCF have reported that 15 employees of its Delhi Branch were found responsible for committing irregularities of short credits of the sale proceeds and of shortages of stocks in distribution of imported sugar during 1985-86.

(b) NCCF have recovered the full amount of loss from the eirip-ployees concerned on whom minor penalities were also imposed.

दालों की उपलब्धता

1934. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार अजमेर सिंह अरोड़ा :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दालों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दालों की उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि पिछले तीन दशकों के दौरान दालों के उत्पादन और आयात में लगातार वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन दशकों के दौरान दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में निरन्तर कमी आई है ;

(घ) यदि हां, तो 60, 70 और 80 के दशकों के दौरान दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता क्या रही है ; और

(ङ) भविष्य में 90 के दशक में दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता के बारे में सरकार द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) जी, हां। देश में दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं और इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिए) चूंकि देश में पैदावार देश में मांग के अनुरूप नहीं हुई है; इसलिए देश में दालों की आपूर्ति में वृद्धि करने की दृष्टि से खुले सामान्य लाइसेंस पर दालों का आयात करने की अनुमति दी गई है और दालों पर आयात शुल्क भी 35 प्रतिशत से घटाकर पहली नवम्बर, 1989 से 10 प्रतिशत कर दिया गया है।

विवरण

दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित नीतियां अपनाई गई हैं :—

(1) दुगुनी और बहु फ़सली जैसी सिंचित खेती प्रणाली में दालों की फ़सलें लगाना शुरू करना।

(2) निम्नलिखित के अधीन अतिरिक्त क्षेत्र लाना :—

(क) गर्मी में सरसों, गन्ने, आलू और गेहूं की फ़सल के बाद सिंचाई सुविधाओं के साथ दालों की और रबी मौसम में मसूर की खेती करना।

(ख) उत्तरी राज्यों में गेहूं के साथ रोटेशन में अल्पावधि के लिए अरहर की खेती करना।

(ग) रबी मौसम में अवशेष नमी का इस्तेमाल कर चावल से खाली हुई भूमि में उड़द, मूंग आदि की अल्पावधि की किस्मों की खेती करना।

(3) सिंचित और असिंचित दोनों स्थितियों में सोयाबीन, बाजरा, कपास, गन्ने और मूंगफली में अरहर की अन्तराल फ़सल की पैदावार करना।

(4) उन्नत बीजों, पौध संरक्षण उपाय करना, फ़ास्फ़ैटिक उर्वरकों का इस्तेमाल करना और रिजोबियम संवर्धन जैसे आदानों का अधिक प्रयोग करना।

उपर्युक्त नीति को निम्नलिखित दो कार्यक्रमों से भी बल मिलता है :—

(1) केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम।

राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम 1986-87 से चलाया जा रहा है।